शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या-30/2016/2846/26-2-2016**-२(एस0एन0डी0)/**2014

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त**,
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक :** 01 **दिसम्बर**, 2016

विषय : "समाजवादी पेंशन योजना" एवं ''अनुसूचित जाति/ जनजाति /सामान्य वर्ग शादी अनुदान योजना'' के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक समाज कल्याण अनुभाग-2 **के शासनादेश संख्या-** 29/2016/2805/26-2-2016 **दिनांक** 28 **नवम्बर**, 2016, **जो पुनः संलग्न है, का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया था कि प्रदेश मुख्यालय एवं जनपदों के लिए कार्यक्रम की तिथियों की सूचना प्राप्त होते ही तदनुसार आपको पृथक से अवगत कराया जाएगा।**

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 **मुख्यमंत्री जी, उ**0**प्र**0 **द्वारा दिनांक** 05 **दिसम्बर**, 2016**(सोमवार) को पूर्वान्ह** 11.00 **बजे मुख्यमंत्री आवास**, 5-**कालीदास मार्ग**, **लखनऊ पर समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित ''पुत्रियों की शादी अनुदान योजना'' का शुभारम्भ एवं जनपद लखनऊ के कतिपय लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम प्रस्तावित है।**

जनपदों में समाजवादी पेंशन योजना के नये लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र/परिचय-पत्र का वितरण तथा उपर्युक्त तीनों विभागों के माध्यम से संचालित ''पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान'' योजना के स्वीकृति-पत्र का वितरण संबंधित जनपदों के प्रभारी मा0 **मंत्रीगण/मा**0 **मंत्रीगण/मा**0 **सांसदगण/विधायकगण की उपस्थिति में दिनांक 06-12-2016 से 10-12-2016 तक किया जाना है।**

अतः आपसे अपेक्षा है कि शादी अनुदान योजना/समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 **में चयनित जिन लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि स्थानान्तरित की चुकी है, अथवा स्थानान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, ऐसे लाभार्थियों की सूची जनपद स्तर पर**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तैयार कराते हुए मा0 प्रभारी मंत्री/मा0 मंत्रीगण/मा0 जन प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वीकृति-पत्र, कैम्पों के माध्यम से वितरित कराये जाने की कार्यवाही तद्नुसार सम्पन्न करायी जाए।

यह भी पुनः स्पष्ट करना है कि उक्त कार्यक्रम में ''सोशल सेक्टर'' की अन्य योजनाओं के वह लाभार्थी, जिनको धनराशि का स्थानान्तरण किया जा चुका है तथा जिनको धनराशि की स्वीकृति से सम्बन्धित स्वीकृति-पत्र का वितरण अभी तक नहीं हुआ है, उनका वितरण भी इन्हीं कैम्पो के माध्यम से सुनिश्चित करा लिया जाए। उपरोक्त कार्यक्रमों हेतु जनपद में ''समाज कल्याण नोडल विभाग'' होगा।

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव,

पृष्ठांकन संख्या-30/2016/2846(1)/26-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
3. सचिव, उ0प्र0 शासन, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन, महिला कल्याण विभाग।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन, विकलांग कल्याण विभाग।
6. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
8. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0।
9. निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0।
10. निदेशक, विकलांग कल्याण विभाग, उ0प्र0।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उ0प्र0।
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
13. समस्त मण्डलीय संयुक्त/उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
14. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।